# मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की सूचना दें : नगर आयुक्त

शाहजहांपुर। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने समस्त नगरवासियों से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की सूचना नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध कराए जाने की अपील की है। नगर आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग निराश्रित महिलाएं एवं बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण हेतु ऐसे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता अथवा आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण 01 मार्च 2020 से बच्चों के माता–पिता की मृत्यु हो गई है। उनका चिन्हीकरण किया जाना है। लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और 01 मार्च 2020 तथा इसके बाद के बच्चों को ही योजना का लाभ अनुमन्य है। जिसको ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त ने महानगर वासियों से अपील की है कि नगर निगम सीमांतर्गत 01 मार्च 2020 से अब तक जिन बच्चों के माता–पिता अथवा आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो, ऐसे बच्चों को योजना का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में अपनी सूचना नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध कराएं।